दीपाराम बनाम फूलचन्द

नही बनाया है ना ही प्रार्थी/आवेदक को न्यायालय ने स्थगन से पाबन्द किया है। अतः प्रार्थी/आवेदक श्री सुरेन्द्र पुत्र सुरजाराम का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन मे शिथिलता प्रदान किये जाने का स्वीकार किया जाता है। तथा शिथिलता प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते बनाए जाने रायी को पक्षकार हेतु दिनांक 07.08.25 को पेश हो।

P

7.8.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील, प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। इनको बार बार आवाजें दिलवाई गई, बावजूद आवाजें प्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नही आया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

P

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Br[illegible]esh Kumar
Date: 2025.08.13 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested